

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 19(1)साप्र/2/14

जयपुर, दिनांक

10 MAR 2014

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को 'एच' श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता है :-

| क्र.सं. | वरियता संख्या | नाम व पद | आवास संख्या | सेवानिवृति तिथि |
|---------|---------------|--|--|-----------------|
| 1. | 41/1998 | श्री किरोड़ीलाल सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय, अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं. 10, जयपुर महानगर, जयपुर | एच- 888 गॉधीनगर | 30.5.2028 |
| 2. | 3/2001 | श्री लक्ष्मण दास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 30, जयपुर महानगर | VI-8 गॉधीनगर | 31.5.2027 |
| 3 | 5/2001 | श्री रमेश कुमार थापा पुत्र श्री बोन लाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर | एच-515 गॉधीनगर (एच-565 के स्थान पर) | 31.10.2023 |
| 4 | 8/2006 | श्री कालू राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर | एच- 883 गॉधीनगर | 28.2.2018 |
| 5 | 47/2001 | श्री उमराव सिंह प्रयोगशाला सहायक प्रधानाचार्य, राजकीय राजा रामदेव पोद्दार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, जयपुर | एच- 538 गॉधीनगर | 30.6.2022 |
| 6 | 1ए/2002 | श्रीमती पिंकी गुजराती लैब अटेंडेंट प्राचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर | एच- 528 गॉधीनगर | 30.6.2027 |

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. न्यायालय, अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं. 10, जयपुर महानगर, जयपुर।
4. न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 30, जयपुर महानगर
5. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय राजा रामदेव पोद्दार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, जयपुर।
7. प्राचार्य, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग / जन स्वा0 अभि0 वि0 / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
13. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (युप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
15. सम्बन्धित कर्मचारीगण। श्री रमेश कुमार थापा पुत्र श्री ब्राम लाल, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर विभाग को सूचित करावें।
16. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

(मुन्नालाल शर्मा) 10/07/11
शासन सहायक सचिव